

अनुमति की शर्तें ।

- (i) नगर भवन/पुरुषण के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**एकल खिडकी केवल आवासीय इलाजनाथि
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 911 दिनांक 10/08/2024

प्राथीया कुमारी शीतला देवी D/o श्री अर्जुन जोशी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 10614/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2069/5794-5795

दिनांक 10/08/2024 को जमा करा दी है ।

P. No: 23/934 - जीपास
हरिसिंग बंसि

जीपास
आवासीय

12/3/2024

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

(Signature)
941324768
12/3/24